No. 16317 Bill
R. 32989
25-8-2010

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1611] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2010/श्रावण 14, 1932
No. 1611] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2010/SHRAVANA 14, 1932

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2010

का.आ. 1920(अ).—भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने अंतरराज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन अपनी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा निर्दिष्ट उसमें कतिपय विषयों के सत्यापन और न्यायनिर्णयन के लिए, रावी और ब्यास जल अधिकरण का गठन किया था, और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी, 1987 को केन्द्रीय सरकार को भेज दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के निबंधनों के अनुसार उक्त अधिकरण को, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए 19 अगस्त, 1987 को और निर्देश किए थे;

और केन्द्रीय सरकार ने, उसकी आगे की रिपोर्ट को पूरा करने में उक्त अधिकरण द्वारा किए जाने वाले वृहत कार्य को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर उक्त रिपोर्ट देने की अवधि को 5 अगस्त, 2010 तक बढ़ा दिया था;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिकरण द्वारा यथा उल्लिखित अंतर्वलित कार्य की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त अवधि को 5 अगस्त, 2010 के पश्चात् और छह मास के लिए बढ़ाना आवश्यक समझती है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अवधि को, जिसके भीतर अधिकरण इस प्रकार किए गए निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 5 फरवरी, 2011 तक भेज सकेगा, आगे और बढ़ाती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के अंतिम पैरा में, "5 अगस्त, 2010 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "5 फरवरी, 2011 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 15/3/85-आई.टी.]

उमेश नारायण पंजियार, सचिव

टिप्पण: रावी और ब्यास जल अधिकरण का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्वर्ती उसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ. 666(अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा संशोधन किया गया; और उस अवधि को जिसके भीतर अधिकरण से अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए अपेक्षा की गई थी, समय-समय पर अधिसूचना का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003; का.आ. 889(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004; का.आ. 166(अ), तारीख 4 फरवरी, 2005; का.आ. 1093(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005;

का.आ. 133(अ), तारीख 3 फरवरी, 2006; का.आ. 1218(अ), तारीख 28 जुलाई, 2006; का.आ. 104(अ), तारीख 2 फरवरी, 2007; का.आ. 1112(अ), 6 जुलाई, 2007; का.आ. 212(अ), तारीख 30 जनवरी, 2008; और का.आ. 1700(अ), तारीख 16 जुलाई, 2008; का.आ. 397(अ), तारीख 4 फरवरी, 2009; का.आ. 1812(अ), तारीख 23 जुलाई, 2009; और का.आ. 203(अ), तारीख 29 जनवरी, 2010 द्वारा बढ़ाई गई ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2010

S.O. 1920(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Water Resources *vide* its notification under sub-sections (1) and (2) of Section 14 of the Inter State Water Disputes Act, 1956, number S.O. 169 (E), dated the 2nd April, 1986, constituted the Ravi and Beas Water Tribunal for verification and adjudication of certain matters of the Punjab Settlement, referred therein, and the said Tribunal forwarded its report to the Central Government on 30th January, 1987;

And whereas, further references have been made by the Central Government to the said Tribunal on 19th August, 1987 requiring explanation and guidance on the report aforesaid in terms of sub-section (3) of Section 5 of the said Act;

And whereas, considering the enormous exercise undertaken by the said Tribunal in completing its further report, the Central Government extended from time to time the period of making the said report, till the 5th August, 2010;

And whereas, the Central Government, keeping in view the exigencies of the work involved, as pointed out by the said Tribunal, considers it necessary to extend the said period for another six months after the 5th August, 2010;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby further extends the period, within which the Tribunal may forward its report on the references so made, to the Central Government till the 5th day of February, 2011, and for that purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources number S.O. 905 (E), dated the 5th August, 2003, namely:—

In the said notification, in the last paragraph, for the words, figures and letters "till the 5th day of August, 2010", the words, figures and letters "till the 5th day of February, 2011" shall be substituted.

[F. No. 15/3/85-I.T.]

UMESH NARAYAN PANJIAR, Secy.

Note : The principal notification constituting the Ravi and Beas Water Tribunal was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986 and subsequently amended *vide* number S.O.666 (E), dated the 10th June, 2003; and the period within which the Tribunal was required to forward its further report to the Central Government was extended from time to time *vide* number S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003; S.O. 889(E), dated the 5th August, 2004; S.O. 166 (E), dated the 4th February, 2005; S.O. 1093(E), dated the 4th August, 2005; S.O. 133(E), dated the 3rd February, 2006; S.O. 1218(E), dated the 28th July, 2006; S.O. 104(E), dated the 2nd February, 2007; S.O. 1112(E), dated the 6th July, 2007, S.O. 212(E), dated the 30th January, 2008; S.O. 1700(E), dated the 16th July, 2008; S.O. 397(E), dated the 4th February, 2009; S.O. 1812(E), dated the 23rd July, 2009 and S.O. 203(E), dated the 29th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.